बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक –

विषयः– डा० तबरेज अख्तर, अनिवार्य सेवानिवृत प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को विभागीय ज्ञापांक–605, दिनांक–21.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की दी गई शास्ति के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में।

राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के औषधि भण्डार एवं संबंधित संस्थान के वित्तीय अनियमितता हेतु संपूर्ण मामले की जॉच करने के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1171(आ०चि०) दिनांक–13.10.2022 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया था।

2. समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अत्यधिक मात्रा में यूनानी औषधि कालातीत (Expire) पाया गया। डा० तबरेज अख्तर, प्रभारी प्राचार्य–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा जॉच समिति को जॉच के क्रम में संगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही जॉच कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

3. उपर्युक्त कृत्य के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1215(आ०चि०) दिनांक–28.10.2022 द्वारा डा० अख्तर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक–70(आ०चि०), दिनांक–19.01.2023 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध कतिपय गंभीर आरोप पाये जाने के कारण आरोप–पत्र गठित किया गया।

4. विभागीय संकल्प संख्या–317(आ०चि०), दिनांक–25.03.2023 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम की समीक्षा की गई। आरोप की प्रकृति गंभीर होने के कारण संचालन पदाधिकारी के अधिगम से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(2) के अधीन असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु अंकित कर विभागीय पत्रांक–1091(आ०चि०), दिनांक–03.11.2023 द्वारा डा० अख्तर से लिखित अभिकथन की मांग की गई।

5. डा० अख्तर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्राप्त प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि डा० अख्तर द्वारा पदीय दायित्वों के साथ–साथ वित्तीय

मामले में कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकारी राशि का अपव्यय हुआ।

6. समीक्षोपरान्त उन्हें अनुशासनिक प्राधिकार–सह–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. विभागीय पत्रांक–1193(आ०चि०) दिनांक–25.10.2024 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने के राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु आयोग को पत्र प्रेषित की गई।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4107/लो०से०आ०, दिनांक–29.01.2025 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

9. विभागीय ज्ञापांक संख्या–483(आ०चि०), दिनांक–21.03.2025 के द्वारा डा० तबरेज अख्तर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् के दिनांक–08.04.2025 की बैठक के मद संख्या–11 में स्वीकृत किया गया।

10. विभागीय संकल्प संख्या–605(आ०चि०), दिनांक–21.04.2025 के द्वारा डा० तबरेज अख्तर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया गया, जिसके विरूद्ध डा० अख्तर द्वारा अपील/पुनर्विलोकन आवेदन दिया गया है।

11. डा० अख्तर द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध दिये गये पुनर्विचार आवेदन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अपने पुनर्विचार आवेदन में लगभग वही तथ्य प्रस्तुत किये गये है, जो विभागीय कार्यवाही के दौरान एवं असहमति के बिन्दुओं पर दिये गये अपने लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में वे पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं। इनके विरूद्ध गठित आरोप पदीय दायित्वों एवं वित्तीय मामले में कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने से सरकारी राशि के अपव्यय का है, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी का है। इन आरोपों के संबंध में डा० अख्तर से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन के बिन्दुओं पर समीक्षोपरांत इन्हें दोषी पाते हुए ही दंडित करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा अपने पुनर्विचार आवेदन में प्रक्रियात्मक बिन्दुओं के अतिरिक्त वही तथ्य दोहराये गये हैं, जो पूर्व में विचारित हो चुके हैं। अतः समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

12. डा० तबरेज अख्तर, अनिवार्य सेवानिवृत प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा दिए गए पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजे जाने पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–17.06.2026 की बैठक के मद संख्या–18 में डा० तबरेज अख्तर को विभागीय ज्ञापांक–605, दिनांक–21.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की दी गई शास्ति के विरूद्ध उनके द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

13. अतः मंत्रिपरिषद् की दिनांक–17.06.2026 की बैठक के मद संख्या–18 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में डा० तबरेज अख्तर, अनिवार्य सेवानिवृत प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को विभागीय ज्ञापांक–605, दिनांक–21.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की दी गई शास्ति के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति डा० तबरेज अख्तर, अनिवार्य सेवानिवृत प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना एवं संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –16/यू०1–08/2021– 974 (आ॰ चि॰) **पटना, दिनांक –** 24.6.2026

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक/राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–17.06.2026 की बैठक के मद संख्या–18 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – डा० तबरेज अख्तर, अनिवार्य सेवानिवृत प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.6.26.

सरकार के अपर सचिव